# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 140 / 2015

समुन्द्र सिंह पुत्र दलेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैसाभटटी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 09.11.2015

**उपस्थितिः—**

श्री अजय अरोडा , अभिभाषक अपीलांट
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी / अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88 के तहत पेश कर रोही जैसाभट्टी ख.नं. 43 / 4 में 3.832है0 व ख.नं. 61 में 3.985है0 कुल 7.817है0 भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। पैरोकार राज द्वारा जबाब दावा पेश कर राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय विधिवत रूप से निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु बनाये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 09.11.2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी / अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया है। अपीलांट को 7.817है0 भूमि टी.सी. पर आवंटित होनी एवं इसी पर खातेदारी दिया जाना साबित है।

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तनकी नं. 1 का निर्णय वादी के पक्ष में होने से तनकी नं. 2 का निर्णय वादी के पक्ष में होना चाहिए था। अपीलांट ने साक्ष्य में नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की थी जिससे साबित था कि ख.नं. 49 अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में ख.नं. 61 में वादी का कब्जा साबित है जिसे घोषणा करवाने का वादी/अपीलांट अधिकारी था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने अपने वाद को साक्ष्य से साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 09.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट द्वारा ख.नं. 49 की बजाए ख.नं. 61 का खातेदार घोषित किये जाने का दावा अधी. न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया कि अपीलांट का जहां आवंटन हुआ उसके बजाए कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का कोई कानून नहीं बताया जबकि अपीलांट का कब्जा ख.नं. 61 में होने से अपीलांट ने इस खसरे का काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर संग्रहित साक्ष्य एवं तनकीयात विनिश्चय अनुसार दावा खारिज किया जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 का विनिश्चय किया है कि वादी ने ऐसे किसी स्पष्ट न्याय निर्णय या विधि का प्रस्तुतकरण नहीं किया जिसमें आवंटन अलग खसरे तथा कब्जा किसी अन्य पर होने से उपखण्ड अधिकारी उसे काबिज खसरे का खातेदार घोषित करे। अतः तनकी वादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की है। यह न्यायालय इस बिन्दू को more specially इस रूप में clear करना उचित समझता है कि अपील मीमों व दावे में अपीलांट द्वारा खसरा नं. 49 का Exchange ख.नं. 61 से करने का चाहा है जो रकबा राज है, के सम्बन्ध में राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 48 में

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्पष्ट प्रावधान है कि रकबा राज का किसी खातेदार से Exchange की स्वीकृति देने में सिर्फ राज्य सरकार सक्षम है। धारा 48 की Bare reading है कि " Exchange of land- (1) Tenants of the same class may exchange land which they hold from the same landholder with the written consent of such landholder or which they hold from different landholders with the written concent of all such landholders. Land of deity cannot be given in exchange." जो Series of न्याय सिद्धांत यथा आर.आर.डी. 1968 गोपालराम बनाम बन्ने सिंह पेज 7 , आर.आर.डी 1980 पीरावी बनाम नत्थी पेज 243, आर.आर.डी. 1979 प्रीतम सिंह बनाम शिवकुमार पेज 509 में साररूप से held किया है कि " A Tehsildar or Sub-Divisonal Officer is not a landholder in case of Government land . Both these officers there for cannot sanction Exchange of Government land, State Government alone can sanction Exchange of Government land."

अतः अधी. न्यायालय के निर्णय के support में उपरोक्त विवेचन जोड़ा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार) 14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

# डिक्री व सीगे अपील

( ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

समुन्द्र सिंह पुत्र दलेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैसाभटटी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील संख्या 140/2015 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ मुर्क्ख 09 माह 11 सन् 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 14 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री अजय अरोडा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर